न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या–   01/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी, छीपाबड़ौद/बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री भगवान सिंह पुत्र कालूराम सिंह लोधा निवासी भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद व्यापारी मालिक जप्तशुदा 1110 किलोग्राम गेंहू मय 20 बारदाने
2. श्री पप्पूलाल पुत्र बालूराम लोधा निवासी भावपुरा तहसील छीपाबड़ौद , ड्राईवर एवं मालिक छोटी पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 33 जी.ए. 0685 **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

निर्णय दिनांक– 05.05.2022

1– प्रार्थी श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी, छीपाबड़ौद/बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.01.2013 को उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद की सूचना पर 4 बजे दिन में सारथल पुलिस चौकी पर पहुंचा जहां श्री मोहनचंद पुत्र जीनाराम ए.एस.आई. पुलिस चौकी सारथल मिले जिन्होने कहा कि सरपंच पति ग्राम पंचायत भावपुरा श्री अमरसिंह (उर्फ अमृतलाल) पुत्र श्री किशोरीलाल लोधा की दूरभाषिक शिकायत पर आज ही सुबह 10 बजे दो कांस्टेबल यथा कुलवेन्द्र सिंह पुत्र विक्रम सिंह बेल्ट नं. 822 एवं घनश्याम पुत्र काशीराम बेल्ट नं. 1045 पुलिस चौकी सारथल द्वारा राशन के गेंहू की कालाबाजारी की आशंका पर छोटी पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 33 जी.ए. 0685 को बिलेण्डी सारथल मार्ग पर रोकी गई। पिकअप का निरीक्षण करने पर उसमें गेंहू से भरी तीन बोरियां एवं बिखरा हुआ गेंहू पाया गया। बिखरे गेंहू को जी.एस.एस. सारथल से कट्टे मंगवाकर उसमें भरवाया गया तो 3 बोरियां तथा 17 कट्टे में गेंहू का कुल वजन 1110 किलोग्राम आया। ड्राईवर एवं पिकअप मालिक ने बताया कि गेंहू का मालिक भावपुरा का व्यापारी भगवान सिंह पुत्र कालूराम लोधा है जिसके कहने पर वह किराये से उपरोक्त गेंहू को बेचने हेतु अकलेरा मंडी ले जा रहा था। व्यापारी श्री भगवान सिंह ने पूछने पर स्वंय को गेंहू का मालिक होना स्वीकार करते हुए बताया कि उसने उपरोक्त गेंहू काश्तकारों तथा राशन उपभोक्ताओं से खरीदा है। एसी स्थिति में राशन के गेंहू की कालाबाजारी की आशंका पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का व्यापारी श्री भगवान सिंह पुत्र कालूराम लोधा तथा पिकअप गाड़ी ड्राईवर व मालिक श्री पप्पूलाल पुत्र श्री बालूराम लोधा द्वारा उल्लंघन किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

दण्डनीय अपराध किये जाने से सबूत छोटी पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 33 जी.ए. 0685 तथा 1110 किलोग्राम गेंहू मय 20 बारदाने को जी.एस.एस. सारथल के व्यवस्थापक श्री मों. रशीद पुत्र बशीर मो. को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत जब्तशुदा छोटी पिकअप गाड़ी आर.जे. 33 जी.ए. 0685 तथा 1110 किलोग्राम गेंहू मय बारंदाना को राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी ने दिनांक 17.04.2013 को जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि इस्तगासे में वर्णित गेंहू की कालाबाजारी की आशंका पर जप्त छोटी पिकअप गाड़ी नं.आर.जे. 33 जी.ए. 0685 में पाये गये गेंहू 1110 किलोग्राम राशन डीलरों के नहीं थे एवं नही राशन पर दिये जाने वाले उपभोक्ताओं के भी नहीं थे। बल्कि अप्रार्थी सं. 1 भगवान सिंह जिसकी गांव में छोटी सी दुकान है जिस पर किराने का सामान बेचता है। गांव में लोग सामान लेने जो आते हैं नकद पैसे लेकर नहीं आते हैं बल्कि पैसों के स्थान पर गेंहू लेकर आते हैं या अन्य अनाज लेकर आते हैं उसको मुझे बेचकर वह अपनी गृहस्थी का सामान खरीदते हैं। इस प्रकार से 1110 किलोग्राम मेरी दुकान का था। जिसको बेचने के लिये छोटी पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 33 जी.ए. 0685 में भरकर ले जा रहा था। उपरोक्त गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नही होने से जप्तशुदा गेंहू व गाड़ी को लौटाया जाना विधिसंगत व न्यायहित में है। अतः उक्त कार्यवाही को निरस्त फरमावें तथा जप्तशुदा वाहन पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 33 जी.ए. 0685 व गेंहू 1110 किलो भगवान सिंह को वापस लौटाये जाने का आदेश फरमावें।

3— हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी।

4— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जब्तशुदा गेंहू 1110 किलोग्राम मय बारदाना का अंतरिम निस्तारण श्रीमान् के आदेशानुसार किया जाकर प्राप्त राशि अमानत मद में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा गेहॅू वजनी 1110 किलोग्राम मय बारदाना को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जप्तशुदा गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ना होकर काश्तकारान से किराना सामान के बदले में [illegible] पर प्राप्त गेंहू था जिसे अप्रार्थी क्रम 1 बेचने के लिये अकलेरा मण्डी में लेकर [illegible] रहा था। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को निरस्त कर जप्तशुदा गेंहू 1110 [illegible] के इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.02.2013 से किये गये अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि अप्रार्थी क्रम 1 को भुगतान करने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने बहस उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी,

छीपाबड़ौद/बारां द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस चौकी सारथल पर पहुंचकर अप्रार्थी कम 1 भगवान सिंह से पूछने पर उसने जप्तशुदा गेंहू काश्तकारों एवं राशन उपभोक्ताओं से क्रय करना बताया। जिसे छोटी पिकअप गाड़ी नं. आर.जे. 33 जी.ए. 0685 से बेचने के लिये अकलेरा मण्डी में लेकर जा रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया गेंहू 1110 किलोग्राम मय बारदाना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेंहू है। जिस पर प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा गेंहू 1110 किलोग्राम मय बारदाना को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा गेंहू 1110 किलोग्राम मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा गेंहू की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:15:29 IST
Reason: SelfAttested